न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 22.06.2022

अपील संख्या 2022/92

उनवान

हेमन्त कुमार उम्र 65 वर्ष पुत्र बाबूलाल, जाति जैन महाजन, निवासी बामला हाल निवासी जैन कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां राज0 .... अपीलांट

बनाम

1– श्रीमती पुष्पा जैन, उम्र 80 वर्ष बेवा राजेन्द्र जैन, जाति महाजन, निवासी बामला हाल निवासी 201 रोनक धाम अपार्टमेंट मकान नं. 59/60 बैकुण्ठ धाम इन्द्रौर, मध्यप्रदेश .... रेस्पोडेंट

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां, जिला बारां

दायरा दिनांक : 22.06.2022

अपील संख्या 2022/93

उनवान

हेमन्त कुमार उम्र 65 वर्ष पुत्र बाबूलाल, जाति जैन महाजन, निवासी बामला हाल निवासी जैन कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां राज0 .... अपीलांट

बनाम

1– श्रीमती पुष्पा जैन, उम्र 80 वर्ष बेवा राजेन्द्र जैन, जाति महाजन, निवासी बामला हाल निवासी 201 रोनक धाम अपार्टमेंट मकान नं. 59/60 बैकुण्ठ धाम इन्द्रौर, मध्यप्रदेश ..... रेस्पोडेंट

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां, जिला बारां

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री बी.एल.जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 11.07.2024**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 46/2017 व 47/2017 निर्णय दिनांक 20.12.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बामला, तहसील बारां में स्थित खसरा नं. 38 रकबा 1.64 हेक्टर, खसरानं. 155 रकबा 1.54 हेक्टर, खसरानं. 162 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नं. 165 रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नं. 724 रकबा 0.20 हेक्टर खसरा नं. 733 रकबा 0.16 हेक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 4.04 हेक्टेयर में से रकबा 3.51 हेक्टेयर के संबंध में विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय दिनांक 20.12.2021 को वाद खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या 2022/92 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बामला में खसरा नं. 38, 155, 165, 162, 724, 733 कुल 4.04 हेक्टर भूमि स्थित है के संबंध में अपीलांट ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जो प्रकरण सं. 179/2013 पर दर्ज हुआ। जिसका दिनांक 13.04.2015 को निर्णय पारित किया गया। संशोधित आदेश 09.06.2015 को पुनः पारित किया गया जो एकपक्षीय पारित हुआ था, जिसमें अपीलांट का वाद डिक्री किया गया।

इस निर्णय के विरूद्ध राजेन्द्र कुमार द्वारा एक अपील न्यायालय हाजा कोटा में दायर की जो अपील सं. 247/2016 पर दर्ज हुई तथा दिनांक 19.07.2017 को निर्णय पारित किया गया जिसमें दिनांक 13.04.2015 व 09.06.2015 का निर्णय अपास्त किया गया। इस निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की तथा वहां से स्थगन आदेश प्राप्त किया जो दिनांक 14.09.2017 को उपखण्ड अधिकारी, बारां में पेश किया। राजस्व मण्डल अजमेर के स्थगन के कारण पत्रावली तारीख में चलती रही तथा राजस्व मण्डल अजमेर ने अपील खारिज की जो पत्रावली पर रिकार्ड पर ली गई जिसका वर्णन 30.09.2019 की आदेशिका में है। इस कारण धारा 144 सी. पी. सी. के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी तथा धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र तारीख पेशी में चलता रहा।

इस निर्णय के बाद पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, बारां को प्राप्त हुई, जो वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, बारां में जैरकार है जिसमें अग्रिम तारीख पेश 15.07.2022 नियत है।

माननीय न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.04.2015 व 09.06.2015 को निरस्त कर दिया तथा राजस्व रिकार्ड में तन्हा रूप में अपीलांट का नाम खातेदार के रूप में दर्ज हो गया था। उस नाम को हटाने के लिये राजेन्द्र कुमार द्वारा एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, बारां में दिनांक 29.07.2017 को पेश किया जो धारा 144 सी.पी.सी. का था, जिसमें राजेन्द्र कुमार ने राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां को पक्षकार बनाया, जो प्रकरण सं. 46/2017 पर दर्ज हुआ, जिसमें अपीलांट की तलबी की गई दिनांक 14.09.2017 को अपीलांट की ओर से उपस्थिति दी गई इसके बाद पत्रावली तारीख पेशी में चलती रही। इसके बाद उपखण्ड अधिकारी का ट्रान्सफर हो गया व वर्ष 2020 में कोरोना लग गया। इस कारण पत्रावली में जनरल तारीख देते रहे। दिनांक 20.12.2021 को धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया। इसको पुनः नम्बर पर लेने के लिये राजेन्द्र कुमार द्वारा कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया क्योंकि 24.05.2021 को राजेन्द्र कुमार का इन्दौर में देहान्त हो गया। इस दौरान रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बारां में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 09.09.2021 को आदेश 22 नियम 3 व धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया कि राजेन्द्र कुमार ने उसके पक्ष में एक वसीयत की है, इस कारण राजेन्द्र कुमार का नाम डिलीट किया जाकर मेरा नाम वारिस के रूप में दर्ज कर दिया। क्योंकि राजेन्द्र कुमार ने अपने जीवनकाल में मेरे नाम वसीयत की है। इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज कर दिया। जबकि प्रार्थी द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय में राजेन्द्र कुमार के मरने पर आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र दिया था कि राजेन्द्र कुमार के वारिस उसका पुत्र संजय पत्नि पुष्पा, रचना पुत्री तथा स्वर्गीय पुत्र महेन्द्र का पुत्र मन्नू व महेन्द्र की पत्नि पिंकी उसके वारिस हैं उनको इसमें जोड़ा जावे। किन्तु दोनों प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

व आदेश 22 नियम 3 को दोनों को कोई आदेश नहीं दिया गया तथा पत्रावली अभी भी तारीख पेशी में वास्ते आदेश चल रही है जिसमें तारीख पेश 15.07.2022 नियत है।

इस दौरान रेस्पोडेंट कम 1 ने तहसीलदार बारां को एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि राजेन्द्र कुमार ने पुष्पाबाई के पक्ष में अपनी सम्पत्ति की वसीयत की हुई है तथा उक्त वसीयत के आधार पर राजेन्द्र कुमार के स्थान पर पुष्पाबाई का नाम राजस्व कागजात में दर्ज किया जावे। वह वसीयतनामा अनरजिस्टर्ड है तथा जिस पर इन्दौर नोटेरी का प्रमाणनन है। इस रेस्पोडेंट कम 2 ने बिना वसीयत की जांच किये इंतकाल रेस्पोडेंट कम 1 के पक्ष में खोल दिये तथा असल वसीयत भी नहीं देखी क्योंकि जो निर्णय दिया गया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि पुष्पाबाई द्वारा वसीयत की फोटो प्रति पेश की है, यहां तक कि पुष्पाबाई के बयान भी दर्ज नहीं किये। यह निर्णय तहसीलदार, बारां ने दिनांक 10.03.2022 व 28.03.2022 को जारी किया, जो सर्वथा गैर कानूनी एवं खिलाफ कानून है क्योंकि अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर तहसीलदार को भूमि दर्ज करने का अधिकार नहीं है तथा जो इंतकाल खोले गये हैं उनकी अपील अपीलांट ने सक्षम न्यायालय में कर दी है जो वहां जैरकार है।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय को धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि जब पुष्पाबाई ने उपखण्ड अधिकारी, बारां के यहां यह प्रकट कर दिया था कि राजेन्द्र कुमार ने उसके पक्ष में वसीयत की हुई है तो उस आधार पर उपखण्ड अधिकारी वसीयत की जांच करके निर्णय पारित करना चाहिए था तथा आदेश 22 नियम 3 व आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों पर निर्णय पारित करना चाहिए था तथा जो भी आदेश होता उसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल होता किन्तु तहसीलदार बारां ने कानून हाथ में लेकर कानून की अवहेलना की है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर आदेश दिनांक 20.12.2021 प्रकरण सं. 46/2017 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. निरस्त फरमाया जावे तथा इस पत्रावली की विधि अनुसार सुनवायी करके अधीनस्थ न्यायालय समुचित निर्णय पारित करें।

अपील संख्या 2022/93 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बामला में खसरा नं. 84 रकबा 2.15 हेक्टर भूमि स्थित है के संबंध में अपीलांट ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जो प्रकरण सं. 172/2013 पर दर्ज हुआ। जिसका दिनांक 13.04.2015 को निर्णय पारित किया गया, जो एकपक्षीय पारित हुआ था, जिसमें अपीलांट का वाद डिक्री किया गया।

इस निर्णय के विरूद्ध राजेन्द्र कुमार द्वारा एक अपील न्यायालय हाजा कोटा में दायर की जो अपील सं. 246/2016 पर दर्ज हुई तथा दिनांक 19.07.2017 को निर्णय पारित किया गया जिसमें दिनांक 13.04.2015 का निर्णय अपास्त किया गया। इस निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की तथा वहां से स्थगन आदेश प्राप्त किया जो दिनांक 14.09.2017 को उपखण्ड अधिकारी, बारां में पेश किया। राजस्व मण्डल अजमेर के स्थगन के कारण पत्रावली तारीख में चलती रही तथा राजस्व मण्डल अजमेर ने अपील खारिज की जो पत्रावली पर रिकार्ड पर ली गई जिसका वर्णन 30.09.2019 की आदेशिका में है। इस

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कारण धारा 144 सी पी सी के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी तथा धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र तारीख पेशी में चलता रहा।

इस निर्णय के बाद पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, बारां को प्राप्त हुई, जो वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, बारां में जैरकार है जिसमें अग्रिम तारीख पेश 15.07.2022 नियत है।

माननीय न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.04.2015 को निरस्त कर दिया तथा राजस्व रिकार्ड में तन्हा रूप में अपीलांट का नाम खातेदार के रूप में दर्ज हो गया था। उस नाम को हटाने के लिये राजेन्द्र कुमार द्वारा एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, बारां में दिनांक 29.07.2017 को पेश किया जो धारा 144 सी. पी.सी. का था, जिसमें राजेन्द्र कुमार ने राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां को पक्षकार बनाया, जो प्रकरण सं. 47/2017 पर दर्ज हुआ, जिसमें अपीलांट की तलबी की गई दिनांक 14.09.2017 को अपीलांट की ओर से उपस्थिति दी गई इसके बाद पत्रावली तारीख पेशी में चलती रही। इसके बाद उपखण्ड अधिकारी का ट्रान्सफर हो गया व वर्ष 2020 में कोरोना लग गया। इस कारण पत्रावली में जनरल तारीख देते रहे। दिनांक 20.12.2021 को धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया। इसको पुनः नम्बर पर लेने के लिये राजेन्द्र कुमार द्वारा कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया क्योंकि 24.05.2021 को राजेन्द्र कुमार का इन्दौर में देहान्त हो गया। इस दौरान रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बारां में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 09.09.2021 को आदेश 22 नियम 3 व धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया कि राजेन्द्र कुमार ने उसके पक्ष में एक वसीयत की है, इस कारण राजेन्द्र कुमार का नाम डिलीट किया जाकर मेरा नाम वारिस के रूप में दर्ज कर दिया। क्योंकि राजेन्द्र कुमार ने अपने जीवनकाल में मेरे नाम वसीयत की है। इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज कर दिया। जबकि प्रार्थी द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय में राजेन्द्र कुमार के मरने पर आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र दिया था कि राजेन्द्र कुमार के वारिस उसका पुत्र संजय पत्नि पुष्पा, रचना पुत्री तथा स्वर्गीय पुत्र महेन्द्र का पुत्र मन्नू व महेन्द्र की पत्नि पिंकी उसके वारिस हैं उनको इसमें जोड़ा जावे। किन्तु दोनों प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व आदेश 22 नियम 3 को दोनों को कोई आदेश नहीं दिया गया तथा पत्रावली अभी भी तारीख पेशी में वास्ते आदेश चल रही है जिसमें तारीख पेश 15.07.2022 नियत है।

इस दौरान रेस्पोडेंट क्रम 1 ने तहसीलदार बारां को एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि राजेन्द्र कुमार ने पुष्पाबाई के पक्ष में अपनी सम्पत्ति की वसीयत की हुई है तथा उक्त वसीयत के आधार पर राजेन्द्र कुमार के स्थान पर पुष्पाबाई का नाम राजस्व कागजात में दर्ज किया जावे। वह वसीयतनामा अनरजिस्टर्ड है तथा जिस पर इन्दौर नोटेरी का प्रमाणनन है। इस रेस्पोडेंट क्रम 2 ने बिना वसीयत की जांच किये इंतकाल रेस्पोडेंट क्रम 1 के पक्ष में खोल दिये तथा असल वसीयत भी नहीं देखी क्योंकि जो निर्णय दिया गया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि पुष्पाबाई द्वारा वसीयत की फोटो प्रति पेश की है, यहां तक कि पुष्पाबाई के बयान भी दर्ज नहीं किये। यह निर्णय तहसीलदार, बारां ने दिनांक 10.03.2022 व 28.03.2022 को जारी किया, जो सर्वथा गैर कानूनी एवं खिलाफ कानून है क्योंकि अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर तहसीलदार को भूमि दर्ज करने का अधिकार नहीं है

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तथा जो इंतकाल खोले गये हैं उनकी अपील अपीलांट ने सक्षम न्यायालय में कर दी है जो वहां जैरकार है।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय को धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि जब पुष्पाबाई ने उपखण्ड अधिकारी, बारां के यहां यह प्रकट कर दिया था कि राजेन्द्र कुमार ने उसके पक्ष में वसीयत की हुई है तो उस आधार पर उपखण्ड अधिकारी वसीयत की जांच करके निर्णय पारित करना चाहिए था तथा आदेश 22 नियम 3 व आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों पर निर्णय पारित करना चाहिए था तथा जो भी आदेश होता उसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल होता किन्तु तहसीलदार बारां ने कानून हाथ में लेकर कानून की अवहेलना की है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर आदेश दिनांक 20.12.2021 प्रकरण सं. 47/2017 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. निरस्त फरमाया जावे तथा इस पत्रावली की विधि अनुसार सुनवायी करके अधीनस्थ न्यायालय समुचित निर्णय पारित करें।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 28.04.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में धारा 144 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र पर चल रही थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.2021 को खारिज कर दिया। धारा 144 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के आदेश के बिना ही वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट ने अपने नाम करा ली। हमने धारा 144 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के आदेश की अपील की है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का पूर्व का निर्णय न्यायालय हाजा द्वारा खारिज कर दिया। धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अभी लम्बित था। क्या अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करना आदेश की परिभाषा में आता है ? नहीं क्योंकि इसकी डिक्री नहीं बनी। डिक्री नहीं होने से इसकी अपील भी नहीं हो सकती। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 20.12.2021 के निर्णय की अपील की गई है। दिनांक 20.12.2021 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी के उपस्थित नहीं होने पर प्रार्थना पत्र धारा 144 सी.पी.सी. अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य प्रश्न है कि क्या अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज होने की अपील हो सकती है ? अदम हाजरी, अदम पैरवी में प्रार्थना पत्र खारिज होने से किसी पक्ष को कोई राहत नहीं मिलने से यह निर्णय अपील योग्य नहीं है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा 2017 (1) आर.आर.टी. पेज 364 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का निर्णय प्रस्तुत किया जिसमें धारा 144 सी.पी.सी. के तहत पारित आदेश अपील योग्य बताया गया है। प्रस्तुत उद्धरण में धारा 144 सी.पी.सी. के तहत पारित आदेश को अपील योग्य बताया गया है। उक्त निर्णय के अनुसार इंतकाल के प्रकरण में धारा 144 सी. पी.सी. पर कोई भी आदेश पारित किया जाता है तो उसके विरूद्ध लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत अपील प्रस्तुत होगी न कि निगरानी।

प्रस्तुत अपील में जिस निर्णय की समीक्षा की जानी है। हमारी राय में उससे किसी पक्षकार को कोई राहत नहीं मिली है। अतः धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र चूंकि अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया है जिसको रेस्टोरेशन करने हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में होना चाहिए।

दिनांक 20.12.2021 का निर्णय अपील योग्य नहीं होने से दोनों अपीले अपील संख्या 2022/92 एवं 2022/93 खारिज की जाती हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 2022/92

हेमन्त कुमार उम्र 65 वर्ष पुत्र बाबूलाल, जातिजैन महाजन, निवासी बामला हाल निवासी जैन कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां राज0....

अपीलांट्स

बनाम

1– श्रीमती पुष्पा जैन, उम्र 80 वर्ष बेवा राजेन्द्र जैन, जाति महाजन, निवासी बामला हाल निवासी 201 रोनक धाम अपार्टमेंट मकान नं. 59/60 बैकुण्ठ धाम इन्द्रौर, मध्यप्रदेश

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट्स

अपील संख्या 2022/93

हेमन्त कुमार उम्र 65 वर्ष पुत्र बाबूलाल, जाति जैन महाजन, निवासी बामला हाल निवासी जैन कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां राज0

....

अपीलांटस

बनाम

1– श्रीमती पुष्पा जैन, उम्र 80 वर्ष बेवा राजेन्द्र जैन, जाति महाजन, निवासी बामला हाल निवासी 201 रोनक धाम अपार्टमेंट मकान नं. 59/60 बैकुण्ठ धाम इन्द्रौर, मध्यप्रदेश

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां, जिला बारां

.....

रेस्पोडेंटस

अपील नं **2022/92** व **2022/93**
मु.द.नं0 **46/2017** व **47/2017**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी ,बारां**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **20.12.2021**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **12 माह 06** सन् **2024**

उपस्थित श्री **बी.एल.जैन** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **नरेन्द्र कुमार सोमानी** अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

दिनांक 20.12.2021 का निर्णय अपील योग्य नहीं होने से दोनों अपीले अपील संख्या 2022/92 एवं 2022/93 खारिज की जाती हैं।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **11 माह 07 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)